न्यायालय–विशेष न्यायाधीश (एम.पी.डी.व्ही.पी.के. एक्ट) करैरा, जिला शिवपुरी म.प्र.
प्रकरण क. यूएनसीआर 43 / 26
सिद्धार विरूद्ध रामहेत आदि

11.08.2026 परिवादी सिरदार की ओर से अधिवक्ता श्री पी.डी. गुप्ता उपस्थित।

प्रस्तावित आरोपीगण अरविंद, रामहेत, सतेन्द्र, करूआ व सुरेन्द्र की ओर से अधिवक्ता श्री गिरीश गोयल उपस्थित।

प्रकरण परिवाद पत्र पर आदेश हेतु नियत है।

परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 140(2), 310(2) बी.एन.एस. एवं धारा 11, 13 एम.पी.डी.व्ही.पी.के. एक्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी, आरोपीगण क्र.1 लगायत 5 को घटना के पूर्व से ही पहचानता है। घटना दिनांक 17.12.2024 के दिन के करीब 03:00 बजे की है, परिवादी अपने भतीजे भारतसिंह गुर्जर के नीले रंग के स्वराज 735 एफ.ई. ट्रेक्टर क्र. एम.पी. 33 ए.बी. 6258 से ट्रॉली में धान भरकर मगरौनी मण्डी धान बेचने जा रहा था, परिवादी जैसे ही सिद्धिविनायक कॉलेज नरवर के सामने पहुंचा, तभी आरोपीगण क्र. 1 लगायत 5 अपने पांच अन्य साथियों को लेकर एकराय होकर सफेद रंग की दो कारों एवं एक मोटरसाईकिल से ट्रैक्टर को ओवरटेक कर आये और उन्होंने ट्रैक्टर के आगे अपनी कारें रोक दीं। मोटरसाईकिल पर दो आरोपी बैठे थे और शेष आरोपीगण कार में थे। आरोपी रामहेत ने परिवादी से कहा कि उसकी धान ट्रॉली से रोड पर गिर रही है तब परिवादी ने अपने ट्रैक्टर को रोका, तभी सभी आरोपीगण ने परिवादी को घेरकर पकड लिया और सभी आरोपीगण ने एकराय होकर परिवादी से ट्रैक्टर को मय धान से भरी ट्रॉली के लूट लिया। सभी आरोपीगण ने परिवादी का बलपूर्वक अपहरण कर कार में बैठा लिया और आरोपी करूआ एवं उसके चार अन्य साथी परिवादी के साथ कार में बैठ गये, आरोपी अरविंद ट्रैक्टर को चलाकर मगरौनी मण्डी चले गये। आरोपी करूआ अपने चार अन्य साथियों के साथ परिवादी को जबरदस्ती अपहरण कर भितरवार की ओर ले गये तथा उसके द्वारा विरोध करने पर आरोपीगण ने उसकी लातघूसों से मारपीट भी की। आरोपीगण रामहेत, अरविंद, सतेन्द्र, सुरेन्द्र सिंह व उनके अन्य एक साथी ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मगरौनी मण्डी में ले जाकर ट्रॉली में भरी हुयी परिवादी की धान को बेच दिया। आरोपी अरविंद ट्रैक्टर को चलाकर मगरौनी में स्थित जय बाबा धर्मकांटा पर भी ले गया था। आरोपीगण ने धान को बेचकर ट्रैक्टर व खाली ट्रॉली को मगरौनी में छात्रावास के सामने स्थित पेट्रोल पंप पर छोड़ दिया। ट्रैक्टर ट्राली में करीब 65 क्विंटल धान भरी थी जो आरोपीगण ने चोरी से विक्रय कर पैसे ले लिये हैं।

परिवाद पत्र अग्रेतर इस प्रकार है कि आरोपी करूआ व उसके अन्य चार साथी ने परिवादी को कार में बंधकर बनाकर रखा,

आरोपी रामहेत, अरविंद व सतेन्द्र तथा उनका एक अन्य साथी परिवादी की धान को बेचकर दूसरी कार से आये तब आरोपीगण ने परिवादी को शाम करीब 06:00 बजे ग्राम लोढी खिरिया के पास कार में से धक्का देकर कार के बाहर कर दिया और सभी आरोपीगण दोनों कार से भाग गये। तब परिवादी ने अपने भतीजे भारतसिंह को मोबाईल फोन से घटना की जानकारी दी तो भारतसिंह, रणवीर गुर्जर, भागेश गोयल की कार लेकर कार चालक प्रदीप रजक के साथ ग्राम लोढी खिरिया पर पहुंचे, तब परिवादी उक्त व्यक्तियों के साथ घटना की रिपोर्ट करने थाना नरवर दिनांक 17.12.2024 को ही पहुंचा, किंतु थाना प्रभारी नरवर ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया और परिवादी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। दिनांक 18.12.2024 को परिवादी अपने भतीजे भारतसिंह के साथ कस्बा मगरौनी गया और उसने रास्ते में पडने वाले जय बाबा धर्मकांटा मगरौनी एवं मगरौनी में ही छात्रावास के सामने स्थित पेट्रोल पंप पर लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी तो आरोपीगण जय बाबा धर्मकांटा पर ट्रैक्टर ट्राली को ले जाते हुए दिखे और धर्मकांटे पर रोककर ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे रस्सी खीचते हुए दिखे, उस समय ट्रॉली में धान भरी हुयी थी। धान को बेचने के पश्चात आरोपीगण खाली ट्रैक्टर ट्रॉली को मगरौनी के छात्रावास के सामने स्थित पेट्रोल पंप पर रखकर कार से वापस जाते हुऐ भी सी.सी.टी.व्ही. फुटेज में दिख रहे हैं। परिवादी के भतीजे भारतसिंह ने उपरोक्त सी.सी.टी.व्ही. कैमरे में मौजूद रिकॉर्डिंग को चलवाकर उसके वीडियो अपने मोबाईल से बनाये और कुछ छायाचित्र भी मोबाईल से खीचे, तत्पश्चात भारतसिंह के मोबाईल से छायाचित्रों व वीडियो की पैनड्राईव बनवायी, जो परिवाद पत्र के साथ प्रस्तुत है। घटना दैनिक समाचार पत्र नई दुनिया के दिनांक 19.12.2024 को प्रकाशित संस्करण में प्रकाशित भी हुयी है।

परिवाद पत्र अग्रेतर इस प्रकार है कि परिवादी उपरोक्त सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेज मोबाईल में लेकर अपने भतीजे भारतसिंह के साथ थाना नरवर रिपोर्ट करने दिनांक 18.12.2024 को गया, किंतु दिनांक 18.12.2024 को भी पुलिस नरवर ने परिवादी की रिपोर्ट नहीं लिखी और आवेदन देने का कहा गया तब परिवादी ने घटना के संबंध में आवेदन लिखवाकर थाना प्रभारी थाना नरवर को दिया, तत्पश्चात दिनांक 19.12.2024 को घटना की लिखित रिपोर्ट एस.डी.ओ.पी. करैरा तथा पुलिस अधीक्षक शिवपुरी को भी की। परिवादी ने पुनः दिनांक 24.12.2024 को घटना की लिखित रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक जिला शिवपुरी से की थी। तत्पश्चात परिवादी ने दिनांक 31.12.2024 को घटना की लिखित रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय भोपाल को जनसुनवाई में जाकर की, किंतु पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है। थाना प्रभारी नरवर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पेट्रोल पंप से उठवाकर थाना नरवर में रख लिया है। परिवादी द्वारा घटना की रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को करने पर

थाना प्रभारी नरवर केदारसिंह यादव ने दिनांक 20.12.2024 को परिवादी को थाना नरवर बुलाया था तब परिवादी अपने भतीजे भारतसिंह के साथ थाना नरवर गया, वहां पर आरोपी रामहेत गुर्जर भी मौजूद था, थाना प्रभारी केदारसिंह यादव ने परिवादी से कहा कि तुम आरोपीगण से राजीनामा कर लो और घटना के संबंध में कहीं कोई शिकायत मत करो। परिवादी द्वारा राजीनामा करने से मना करने पर थाना प्रभारी केदारसिंह ने परिवादी को मां–बहन की गालियां दी और परिवादी एवं उसके भतीजे भारतसिंह को एक कमरे में बंद कर दिया और करीब 02 घण्टे तक बंद रखा। तत्पश्चात थाना प्रभारी केदार सिंह ने परिवादी से कहा कि तुझे जहां जाना है चला जा वह उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा और यदि उसने ज्यादा शिकायतें की तो उसके विरूद्ध ही एक झूठा मुकदमा बनाकर जेल में डाल देगा और परिवादी और उसके भतीजे भारतसिंह को थाना नरवर से भगा दिया। अतः प्रस्तावित आरोपीगण के विरूद्ध अपराध का संज्ञान लिये जाने हेतु परिवाद पत्र पेश किया गया है।

परिवादी की ओर से परिवाद के समर्थन में स्वयं सिद्दार प. सा.1, भारत गुर्जर प.सा.2, रणवीर सिंह गुर्जर प.सा.3, प्रदीप रजक प.सा.4 के कथन कराये गये हैं।

परिवादी सिद्दार गुर्जर प.सा.1 ने परिवाद पत्र के अनुरूप अपने धारा 202 द.प्र.सं. के अंतर्गत लिखित जांच कथनों में बताया है कि घटना दिनांक 17.12.2024 को ग्राम नरवर, सिद्धि विनायक कॉलेज के सामने 03 बजे की है, वह अपना ट्रैक्टर स्वराज 735 एफ. ई. को ट्रॉली सहित धान भरकर ले जा रहा था, ट्रैक्टर उसके भतीजे भारत गुर्जर का था। रामहेत गुर्जर ने ट्रैक्टर रोका और बोला कि बाबा आपकी धान रोड पर फैल रही है। उसने चार पहिया गाडी ट्रैक्टर के आगे लगा दी, उसके साथ अरविंद गुर्जर, सतेन्द्र गुर्जर, करूआ गुर्जर, सुरेन्द्र गुर्जर और रामहेत थे एवं इनके अलावा 5 लोग और थे, जिनको वह नहीं पहचानता, उनमें से दो लोग मोटरसाईकिल से थे, बांकी के 8 लोग दो चार पहिया सफेद गाडी से थे। सभी लोगों ने उसे ट्रैक्टर ट्रॉली सहित घेर लिया और उसे पकड़कर गाडी में बैठाकर भितरवार तरफ ले गये। अरविंद्र गुर्जर उसके ट्रैक्टर को चलाकर मगरौनी मण्डी तरफ ले गया। उसे गाडी में बैठाकर चार लोग ले गये थे जिमसें से करूआ गाडी चला रहा था, उसके साथ लात–घूसों से मारपीट की थी। उसे शाम के 6 बजे गाडी से लोढी खिरिया के पास उतार दिया था। उसने अपने भतीजे भारत को फोन लगाया, उसे घटना के बारे में बताया तब करैरा से उसका भतीजा चार पांच लोग लेकर लोढी खिरिया में उसके पास आये और उसे गाडी में बैठा लिया, वे सब मिलकर नरवर थाने पर उसी दिन करीबन 09–09:30 बजे पहुंच गये थे, उसने रिपोर्ट लिखने के लिए बोला तो टी.आई. साहब ने आवेदन देने के लिये कहा और बोले कि सुबह आना, लेकिन वह आवेदन उसी रात को लेकर गये थे। आवेदन उसने और भारत गुर्जर ने मिलकर दिया था, उसने निशानी अंगूठा

लगाया था। टी.आई. साहब ने उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी।

अग्रेतर साक्षी ने बताया है कि अगले दिन बाबा धर्मकांटा पर कैमरा लगा था वहां की वीडियो फुटेज भारत ने और उसने मोबाईल में निकालकर रख ली थी, वीडियो में दिख रहा था कि ट्रैक्टर से रस्सी खींचकर धान खाली कर रहे थे, उक्त वीडियो में सुरेन्द्र, अरविंद और रामहेत धान खाली कर रहे थे। नवोदय विद्यालय के छात्रावास के सामने के पेट्रोल पंप पर खाली ट्रैक्टर ट्रॉली रखी, जो सीसीटीवी कैमरा में दिख रहा था, उसकी वीडियो भी भारत ने बना ली और वह वीडियो उन्होंने वकील साहब को लाकर दी थी। उसने एस.डी.ओ.पी. एवं एस.पी. शिवपुरी को 19 तारीख को आवेदन दिये थे, उसके बाद 24 तारीख को भी एस.पी. शिवपुरी को आवेदन दिया था। भोपाल में भी उसने आवेदन दिया था। थाना प्रभारी ने उसके और भारतसिंह के साथ कुछ नहीं किया। दरोगाजी ने 19 तारीख को बुलाया था, वहां पर रामहेत भी था। उसने कायमी करने के लिए बोला तो टी.आई. साहब ने एफ.आई.आर. करने से मना कर दिया, उसे और भारत को दो घण्टे के लिए एक कमरे में बंद कर दिया था। टी.आई. ने बोला था कि कार्यवाही करोगे तो तुम्हे झूठे मुकदमे में डाल देंगे। टी.आई. के खिलाफ उसने कोई कार्यवाही नहीं की थी, फिर वह थाने से आ गये थे। उन्हें मां–बहन की गाली देकर भगा दिया था। ट्रैक्टर थाने में रखा है, पुलिस पेट्रोल पंप से थाने पर ले गयी थी।

भारत गुर्जर प.सा.2 ने अपने जांच कथनों में सिद्दार प.सा.1 के अनुरूप कथन कर घटना के बारे में उसे सिद्दार गुर्जर के द्वारा बताया जाना बताया है, साक्षी ने यह भी बताया है कि उसे सिद्दार ने फोन किया था कि वह भितरवार तरफ है उसे ले जाओ, फिर उसने प्रदीप को फोन लगाया, वह भावेश गोयल की गाडी लेकर आया, फिर वह वहां पहुंचे, तब सिद्दार गुर्जर ने घटना के बारे में बताया। साक्षी ने अग्रेतर यह भी बताया है कि करीब 09 बजे नरवर थाने पर वे लोग आ गये थे, वहां पर उन्होंने टी.आई. को मामले के बारे में बताया, उन्होंने कहा था कि आवेदन दे दो, तब उन्होंने आवेदन दे दिया और 18 तारीख को आने के बारे में बोला, फिर वह 18 तारीख को थाने पर पहुंच गये थे। उन्होंने कहा कि आप सी.सी. टी.वी. कैमरे से फोटो निकलवाओ, फिर उन्होंने रास्ते में जयबाबा धर्मकांटा से फोटो निकलवाये, वहां ट्रैक्टर धान से भरा हुआ नजर आ रहा था, उसकी उसने अपने मोबाईल में वीडियो बना ली थी। खाली ट्रैक्टर छात्रावास के सामने पेट्रोल पंप पर खडा था, खाली ट्रैक्टर रखने की वीडियो वहां से मोबाईल में बना ली थी। फिर वे नरवर थाने गये, तब उन्होंने कहा कि आप वीडियो दे जाओ, वह बुला लेंगे। फिर उन्होंने 20 तारीख को बुलाया, उससे पहले वहां रामहेत गुर्जर बैठा था। फिर टी.आई. साहब ने उससे कहा कि शिकायत बगैरा मत करो राजीनामा कर लो, उसने कहा कि राजीनामा नहीं करूंगा, तब उन्होंने एक कमरे में उसे बंद कर दिया और टी.आई. ने बोला कि

अगर राजीनामा नहीं करेगा तो वह उस पर झूठा मुकदमा लगाकर जेल भेज दूंगा। उसने अपने मोबाईल से पेनड्राईव बनायी थी जो इस्तगासा में लगी है। उसका ट्रैक्टर नरवर थाने पर रखा है।

रणवीर सिंह गुर्जर प.सा.3 ने भारत द्वारा उसके चाचा सिद्दार को प्रस्तावित आरोपीगण द्वारा पकडकर ले जाने और धान की ट्राली छीन लेना बताया था। शाम को 6–7 बजे लोडी खिरिया गांव के पास सिद्दार को लेने भारत सिंह के साथ और एक ड्रायवर के साथ गया था, फिर वह सिद्दार को लेकर वहां से आ गये थे और नरवर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने गये थे। सी.सी.टी.वी. फुटेज के संबंध में भारत प.सा.2 के अनुरूप कथन किये हैं।

प्रदीप रजक प.सा.4 ने स्वयं को ड्रायवर होना, सिद्दार और भारत को जानना और घटना दिनांक 17.12.2024 की 6–7 बजे की होना बताया है। साक्षी के अनुसार उसके पास भारत का फोन आया था कि चाचाजी के साथ घटना हो गयी है, तब वह उनके साथ नरवर चला गया और मगरौनी से रणवीर को बैठाया, फिर वह भितरवार रोड पर लोडी में पहुंचे, फिर सिद्दार ने उन्हें घटना के बारे में बताया था। साक्षी के अनुसार वह भावेश की स्कॉडा गाडी से गया था, जिसकी गाडी वह पिछले 6 महीने से चला रहा है। उसने घटना के बारे में किसी से पूछा नहीं था, वह लोग बात कर रहे थे तब उसने सुना था।

परिवाद पत्र के अवलोकन एवं परिवादी साक्षीगण के जांच कथनों से दर्शित है कि घटना का चक्षुदर्शी साक्षी मात्र परिवादी सिद्दार प.सा.1 स्वयं रहा है। परिवाद पत्र के अनुसार प्रस्तावित आरोपी रामहेत गुर्जर ने परिवादी से कहा था कि तेरी धान ट्राली से रोड पर गिर रही है, सिद्दार गुर्जर प.सा.1 ने अपने जांच कथन में भी यही बताया है कि रामहेत गुर्जन ने उससे बोला था कि बाबा आपकी धान रोड पर फैल रही है। परिवादी की ओर से परिवादपत्र के साथ जो 19 दिसम्बर 2024 का नईदुनिया में प्रकाशित घटना के संबंध में समाचार पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी है, उसमें यह लेख किया गया है कि किसान के अनुसार पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गयी है, जानकारी के अनुसार ग्राम छिरारी निवासी किसान सिद्धार पुत्र बालकिशन गुर्जर 17 दिसम्बर को अपनी धान की फसल ट्राली में भरकर बेचने के लिये आ रहा था, इसी दौरान जब वह सिद्धी विनायक कॉलेज के पास से गुजर रहा था, तभी कुछ लोगों ने उससे कहा कि उसकी ट्राली से धान फैल रही है, बकौल सिद्धार गुर्जर जब वह ट्रैक्टर से उतरा तो कुछ लोगों ने उसे बलपूर्वक एक कार में बैठा लिया और उसका धान से भरे ट्रैक्टर ट्राली लेकर भाग गये। सिद्धार गुर्जर के अनुसार उसे बलपूर्वक कार से ले गए और लोढी खिरिया के पास शाम छः बजे छोड़ दिया। पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में एक युवक ट्रैक्टर को पेट्रोल पंप पर छोड़कर भागने वाले युवक को लेने एक कार आयी थी, जो वही कार थी जिसमें बदमाश उसे ले गये थे। अतः 18 दिसम्बर 2024 तक

कथित घटना किसके द्वारा कारित की गयी, इस संबंध में उपरोक्त समाचार पत्र में कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घटना कारित करने का उल्लेख किया गया है।

सिद्दार की ओर से जो पुलिस थाना नरवर में दिनांक 18.12.24 को आवेदन दिये जाने का पत्र पेश किया गया है, उक्त आवेदन थाने पर प्राप्त हुआ हो, थाने की सील लगी हो इसका कोई उल्लेख नहीं है, न ही थाने के किसी व्यक्ति के कोई हस्ताक्षर हैं। जबकि न्यायालय के द्वारा जब परिवादपत्र के संबंध में जांच रिपोर्ट पुलिस थाना नरवर जिला शिवपुरी के थाना प्रभारी से तलब की गयी, तब उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट के साथ दिनांक 17.12.2024 को सिद्दार गुर्जर की ओर से थाने में दिया गया लेखीय आवेदन भी संलग्न किया, जिसमें इस तथ्य का उल्लेख है कि सिद्दार सिंह गुर्जर ग्राम छिरारी का जब गांव से मगरौनी धान बेचने के लिये स्वराज 735 ट्रैक्टर ट्राली से लेकर जा रहा था, तब सफेद कलर की गाडी पीछे लगी थी, घटनास्थल बल्ली जैन के मील के आगे अरविंद बोला कि बाबा आपकी धान बगर रही है, तब उसने ट्रैक्टर से उतरकर देखा तो उसकी धान बगर रही थी, उसे चार लोगों ने पकडा और गाड़ी में बैठा दिया और एक लड़का ट्रैक्टर चलाकर ले गया। अतः उपरोक्त आवेदन में करूआ उर्फ अरविंद द्वारा धान फैलने की बात बोले जाने का उल्लेख है, जबकि परिवादी सिद्दार प.सा.1 ने प्रस्तावित आरोपी रामहेत द्वारा धान फैल रही है बोला था, इस आशय के कथन किये हैं। ट्रैक्टर को चलाकर अरविंद ले गया था ऐसा सिद्दार प.सा.1 का कहना है जबकि उपरोक्त आवेदन दिनांक 17.12.24 में ट्रैक्टर अरविंद चलाकर ले गया इसका कोई उल्लेख नहीं है। रणवीर सिंह गुर्जर प.सा.3 ने अपने कथनों में करूआ ट्रैक्टर को चलाकर ले गया, ऐसा कथन किया है जो तथ्य उसे सिद्दार और भारत द्वारा बताया गया था।

परिवादी सिद्दार प.सा.1 ने यह भी बताया है कि जिस गाडी में बैठाकर 4 लोग उसे ले गये थे उसे करूआ चलाकर ले गया था, जबकि उपरोक्त आवेदन में 4 लोगों द्वारा उसे पकड़कर बैठा देने का उल्लेख है। करूआ ने उसे पटका हो और करूआ गाडी चला रहा हो, ऐसा आवेदन में वर्णित नहीं है। सिद्दार गुर्जर प.सा.1 ने अपने मुख्यपरीक्षण में ऐसा बताया है कि टी.आई. साहब ने आवेदन देने के लिए कहा और बोले कि सुबह आना, लेकिन वह आवेदन उसी रात को लेकर गये थे, आवेदन उसने और भारत गुर्जर ने मिलकर दिया था, उसने निशानी अंगूठा लगाया था। उपरोक्त आवेदन में 17.12.24 ही वर्णित है, अतः उपरोक्त आवेदन ही थाने पर दिया गया, यह दर्शित होता है और उपरोक्त आवेदन के विपरीत कोई तथ्य जांच के दौरान परिवादी की ओर से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। चूंकि परिवादी सिद्दार प.सा.1 ही घटना का एकमात्र चश्मदीद साक्षी है और उसके द्वारा ही कथित लेखीय आवेदन दिया गया है जो कि उसके द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र और जांच कथन से समर्थन प्राप्त नहीं करता है

और न ही समाचार पत्र में प्रकाशित लेख से समर्थन प्राप्त करता है। परिवादी की ओर से जो पेनड्राईव के संबंध में प्रमाणीकरण प्रस्तुत किया गया है, उसके कोई कथन जांच के दौरान परिवादी की ओर से नहीं कराये गये हैं।

यदि परिवादी प्रस्तावित आरोपीगण रामहेत, अरविंद, सतेन्द्र, करूआ, सुरेन्द्र को पूर्व से जानता था और घटना दिन के समय की भी है, तब निश्चित रूप से सभी व्यक्तियों के नाम उपरोक्त आवेदन में लेख होने चाहिये थे और समाचार पत्र में भी उनका नाम होना चाहिये था। कथित आवेदन में मात्र करूआ द्वारा धान फैल रहे होने की बताने के संबंध में लेख है, करूआ का अन्य कोई कृत्य उपरोक्त अपराध में रहा हो, ऐसा कोई तथ्य आवेदन में नहीं है।

यदि परिवादी की ओर से प्रस्तुत पेनड्राईव को देखें जिसके आधार पर आरोपीगण की पहचान स्थापित होना दर्शाया गया है, तब उपरोक्त पेनड्राईव में जो बाबा धर्मकांटा पर कैमरे लगे होना और उन्हीं में से सी.सी.टी.वी. फुटेज मोबाईल में रख लेने की सिद्दार प. सा.1 ने पुष्टि की है और जांच कथन में बताया है कि उसमें दिख रहा है कि ट्रैक्टर से रस्सी खींचकर धान खाली कर रहे हैं, उक्त वीडियो में सुरेन्द्र, अरविंद और रामहेत धान खाली करते हुए नजर आ रहे थे। अतः कथित बाबा धर्मकांटा की वीडियो में सुरेन्द्र, अरविंद और रामहेत का मौजूद होना बताया है, परंतु वीडियो में देखकर सुरेन्द्र, अरविंद और रामहेत की पहचान नहीं की गयी है।

यदि पेनड्राईव का अवलोकन करें तो उसमें प्रथम इमेज में दो व्यक्ति एक लाल शर्ट और एक नीली शर्ट में दिख रहे हैं, परंतु उसमें चेहरे स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं, न ही उनकी पहचान स्थापित की गयी है। द्वितीय इमेज समाचार पत्र की है जिसमें प्रस्तावित आरोपीगण के नाम का उल्लेख है, परंतु वह किस दिनांक की है इसका उल्लेख नहीं है। तृतीय इमेज में नीले रंग का ट्रैक्टर भरा हुआ नजर आ रहा है। चौथी वीडियो में पहली ही इमेज के दो लड़के मोटरसाईकिल पर नजर आ रहे हैं। पांचवी वीडियो में दो लोग जिसमें से एक व्यक्ति कुर्ता पजामा और एक जैकेट पहने ट्रैक्टर की ओर मात्र इशारा कर रहे हैं। छठवी वीडियो में लाल रंग की और नीली रंग की शर्ट में जो व्यक्ति प्रथम इमेज में है वह ट्रैक्टर पर हैं। सातवी वीडियो में थाना नरवर में 20.12.24 की शाम का है, परंतु उसमें कौन लोग है यह नहीं बताया गया है। आठवी वीडियो में सफेद कलर की गाडी एवं दूसरी गाडी आती दिख रही है। नौवी वीडियो में लाल कलर की शर्ट वाला व्यक्ति ट्रैक्टर चलाकर ले गया है और ट्रैक्टर के पीछे आकर ट्रैक्टर की रस्सी खोलते हुए दिख रहा है जो कि अपना चेहरा सफेद रंग की साफी से ढके हुये हैं, अन्य लोग भी ट्रैक्टर के आसपास हैं, परंतु कौन है पता नहीं है। अतः केवल लाल कलर की शर्ट वाला व्यक्ति ट्रैक्टर की रस्सी खोलते हुये नजर आ रहा है, परंतु उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा है, अतः उपरोक्त व्यक्ति प्रस्तावित आरोपीगण में से कोई एक था यह नजर नहीं आ रहा है, न ही

सिद्दार प.सा.1 ने उपरोक्त व्यक्ति की पहचान न्यायालय में की है। दसवी वीडियो में सफेद कलर की गाडी पेट्रोल पंप पर खडी हुयी है। ग्यारहवी वीडियो में सफेद कलर की गाडी पेट्रोल पंप पर खडी थी, फिर एक ट्रैक्टर आया फिर एक सफेद शर्ट वाला व्यक्ति गाडी में बैठ गया, जबकि वह सफेद शर्ट वाला व्यक्ति किसी अन्य वीडियो में नजर नहीं आ रहा है और लाल कलर की शर्ट वाला व्यक्ति जो पहली वीडियो में ट्रैक्टर चला रहा था वह नहीं दिख रहा है और ट्रैक्टर कौन चला रहा है, यह भी उपरोक्त वीडियो में नहीं दिख रहा है। अतः उक्त आधार पर प्रस्तावित आरोपीगण की पहचान की गयी है, यह उपरोक्त पेनड्राईव में प्रस्तुत इमेज और वीडियो से प्रकट नहीं है।

अग्रेतर यदि निरीक्षक केदार सिंह यादव के द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट को देखें तो उसके अनुसार अनावेदक सतेन्द्र गुर्जर पुत्र रामहेत गुर्जर निवासी झाउ खडीचा थाना भितरवार जिला ग्वालियर सी. आई.एस.एफ. दिल्ली में नौकरी कर रहा है जो दिनांक 17.12.24 को अपनी ड्यूटी पर था, जिसके संबंध में सी.आई.एस.एफ. हेड क्वाटर नई दिल्ली के सहायक कमाण्डेंट का पत्र क्र.42099/1/विविध/आ0नि0/2025–/576 दिनांक 17.03.2025 संलग्न हैं, जिसके अनुसार आरक्षक/टी.एम. सतेन्द्र सिंह गुर्जर दिनांक 17.12.2024 के सुबह 07:00 बजे से लेकर दिनांक 18.12.2024 के शाम 05:00 बजे तक के0औ0सुब0 बल मुख्यालय नई दिल्ली में अपने कर्तव्य पर तैनात था। अतः परिवादी की ओर से प्रस्तावित आरोपी सतेन्द्र की घटनास्थल पर मौजूदगी के संबंध में असत्य कथन किया जाना दर्शित है।

उभयपक्ष के मध्य पूर्व से पैसे के लेनदेन को लेकर रंजिश के तथ्य विद्यमान रहे है, जैसा कि जांच रिपोर्ट से दर्शित है। स्वयं परिवादी सिद्दार प.सा.1 के कथन घटना के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों से समर्थन प्राप्त नहीं करते हैं और अन्य जांच साक्षीगण के कथनों से विरोधाभासी रहे हैं। प्रस्तावित आरोपीगण की मौके पर मौजूदगी प्रमाणित नहीं हुयी है, यहां तक कि सतेन्द्र का नाम भी वर्तमान मामले में झूठा लिखाया गया है, तब उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों से उपरोक्त परिवाद पत्र में प्रस्तावित आरोपीगण के विरूद्ध कोई अग्रिम कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रस्तुत परिवाद एवं जांच साक्ष्य से प्रस्तावित आरोपीगण के विरूद्ध धारा 140(2), 310(2) बी.एन.एस. एवं धारा 11, 13 एम.पी.डी.व्ही.पी.के. एक्ट के तहत अपराध का संज्ञान लिये जाने के कोई आधार मौजूद नहीं होने से परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 140(2), 310(2) बी.एन.एस. एवं धारा 11, 13 एम.पी.डी.व्ही.पी.के. एक्ट निरस्त किया जाता है।

यह परिवाद गणना करने के उद्देश्य से अपंजीकृत सी. आई.एस. सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जावे।

प्रकरण का परिणाम सी.आई.एस. में दर्ज कर अपलोड

किया जावे और प्रकरण अभिलेख नियत समयावधि में विधिवत् अभिलेखागार में भेजा जावे।

MONIKA ADYA

Digitally signed by MONIKA ADYA
Date: 2026.08.11 17:38:02 +0530

(श्रीमती मोनिका आध्या)
विशेष न्यायाधीश (एम.पी.डी.व्ही.पी.के. एक्ट)
करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.)